कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला–राजसमन्द (राजस्थान)

कमांक / न.पा.ना / 2021 / 6293 दिनांक :– 12-10-2021

–: प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के तहत एम्पावर्ड कमेटी एवं ले–आउट प्लॉन अनुमोदन समिति की संयुक्त बैठक कार्यवाही विवरण :–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक प.8ग / नियम / डी.एल.बी. / 2021 / 68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 के बिन्दू संख्या 01 के अनुसार गठित एम्पावर्ड कमेटी एवं स्वायत्त शासन नगरीय विकास ओर आवासन मण्डल विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक एफ.3(50)यु.डी.एच. / 2012 दिनांक 31.05.2012 के नियम 8 तथा नगरीय विकास एंव आवासन विभाग के आदेश कमांक प.3(90)न.वी.वी. / 03 / 2012 दिनांक 21.06.2012 के अन्तर्गत राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क एंव तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के बिन्दू संख्या 32 में गठित ले आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक चुंकि एम्पावर्ड कमेटी एवं ले–आउट कमेटी में सम्मिलित सदस्य समान होने से दोनो बैठक श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा नगरपालिका की अध्यक्षता में सभा गृह में दिनांक 08.10.2021 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित हुई जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार रही।

1. श्री मनीष राठी अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा एंव अध्यक्ष ले आउट प्लान अनुमोदन समितिं।
2. श्री कौशल कुमार खटुमरा, आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा एंव सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनुमोदन समिति।
3. श्री विरेन्द्र सिंह परिहार, सहायक नगर नियोजक उदयपुर ईकाई उदयपुर एंव सदस्य ले आउट प्लान अनुमोदन समिति।
4. श्री चन्द्रमोहन कौशिक, सहायक अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा / श्री प्रतीक नामा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा एंव सदस्य ले आउट प्लान अनुमोदन समिति।
5. श्री किशन यादव, कनिष्ठ लेखाकार / विशेष आमंत्रित सदस्य, नगरपालिका नाथद्वारा।
6. श्री प्रतिक नामा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
7. श्री सौरभ मिश्रा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।

उपरोक्तानुसार कोरम पूर्ण होने पर आयुक्त एंव सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा समस्त सदस्य महानुभावों का स्वागत एंव अभिनन्दन करते हुवे निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. **भूमि शाखा की स्टेट ग्रान्ट एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69क के संबंधित तकनिकी समिती द्वारा प्राप्त आवेदन / पत्रावलीयों पर विचार** :– नगरपालिका नाथद्वारा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क एंव तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एव आवटंन) नियम 2012 के अन्तर्गत भूमि शाखा प्रभारी प्रथम श्री सुरेश पंवार द्वारा एक पत्रावली श्री महेश चन्द्र सनाढ्य पिता श्री ईष्वर चन्द्र सनाढ्य की पत्रावलि समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाकर ले आउट ले आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का अनुरोध किया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्न प्रकरण का ले आउट प्लान अनुमोदित किया जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

(अ). :–श्री महेश चन्द्र सनाढ्य पिता श्री ईश्वर चन्द्र सनाढ्य :–

पत्रावली सं0 62 / 18–19 के प्रकरण मे समिति द्वारा आवेदक श्री महेश चन्द्र सनाढ्य पिता श्री ईश्वर लाल सनाढ्य, तेलियो का तालाब, नाथद्वारा, राजस्व ग्राम नाथद्वारा की आराजी नं0 3553 / 2772 रकबा 01–11–00 बीघा यानि 3922 वर्गमीटर, प्रकरण में नगर नियोजक विभाग की तकनीकी राय कमांक 1381 दिनांक 18.10.2018 एंव पत्र कमांक यूडीआर / 1628 / नाथद्वारा / 1528, दिनांक 22.11.2018, एंव

22/10/21

Scanned with CamScanner

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के पत्र कमांक एफ.59 एसीटीपी /डीएलबी /90–ए– नाथद्वारा (633) /18/1642 दिनांक 05.10.2021 से प्राप्त तकनिकी राय एवं मानचित्र अनुमोदन अनुसार 3922 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट में प्राप्त पत्रों की शर्तो की पालना सुनिश्चित कराते हुवे एंव पालिका कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिर्पोट उपरान्त अनुमोदन की कार्यवाही कीए जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) स्टैट ग्रान्ट/69ए के प्रकरणो के निस्तारण पर विचार :– पालिका आयुक्त द्वारा अभियान तथा अभियान से पूर्व पालिका को प्राप्त स्टेट ग्रान्ट एवं 69क के विविध आवेदनो पर तकनिकी जांच तथा वांछित पूर्तिया पश्चात् प्रकरणो के निस्तारण हेतू समिती के समक्ष अग्रानुसार प्रकरण प्रस्तुत किए :–
समिति द्वारा पालिका को प्राप्त ऑनलाईन तथा ऑफलाईन सभी पत्रावलीयों को माननीय उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के प्रदत निर्देशों एंव स्थगन से सम्बन्धित एंव प्रभावित प्रकरणो को परीक्षण कर आगामी बैठक में समस्त नियमानुसार पात्र तथा पुरानी बसावट में पात्र आवेदको को आवासीय उपयोगयार्थ निस्तारण हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।इस कार्य हेतु भूमि शाखा प्रथम एंव द्वितिय शाखा प्रभारी को अधिकृत किया गया कि समस्त भूमि शाखा प्रभारी उक्तानुसार कार्यवाही आगामी एम्पावर्ड कमेटी के बैठक से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे जिससे प्राप्त प्रकरणो को समयबद्व निस्तारण संभव हो सके।

2. **सघन आबादी क्षैत्र/परकोटा/एस 3 क्षैत्र के नियमानुसार निर्धारण पर चर्चा :–**
उक्त एजेण्डा अनुसार चर्चा आरम्भ करते हुए पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगरीय निकायो में **सघन आबादी क्षैत्र/परकोटा/एस 3 क्षैत्र के नियमानुसार निर्धारण**बिल्डिंग बाईलोज 2020 के अनुसार तथा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 ए तथा स्टेट ग्रान्ट की विभिन्न प्रकरणो के निस्तारण तथा उक्त क्षेत्र हेतु विशेष उपबन्धो का निर्धारण किया जाना प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 की परिपेक्ष्य में अति आवश्यक हैसघन आबादी क्षैत्र का निर्धारण गैर नियोजित क्षैत्र जिसमें नगरपालिका अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं विनियमों के लागू होने से पूर्व 90 प्रतिशत से अधिक आबादी परम्परागत रूप से सघन आबादी विकसीत हुई है, का निर्धारण किया जाना" जिस पर बैठक में उपस्थित श्रीमान् सहायक नगर नियोजक उदयपुर द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि उक्त सन्दर्भ में नाथद्वारा में पुराना परकोटा क्षेत्र तथा पुरानी बसावट वाले विभिन्न बस्तियों की वर्तमान में पालिका द्वारा करवाये जा रहे जोनल प्लान के सर्वेयर की सर्वे के साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों तथा अन्य के सुझावों को तथा पालिका सहायक अभियंन्ता एंव भूमि शाखा तथा भवननिर्माण शाखा के प्रभारियों के संयुक्त सर्वे करवा कर प्राप्त सूची को समाचार पत्रो के नियमानुसार आपत्ति एंव सुझाव हेतु जारी किया जाना सर्वप्रथम अति आवश्यक है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियंताओं को तथा भूमि शाखा प्रभारियों को उक्तानुसार सूची तथा आपति सूचना जारी कर आगामी कार्यवाही करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाकर आगामी बैठक में उक्त रिर्पोट को प्रस्तुत करने तथा बैठक में अनुमोदन करवा सीमांकन करवाया जाकर राज्य सरकार को रिर्पोट भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. **निर्माण शाखा से संबधित प्रकरण/दर अनुमोदन एवं नवीन निविदा पत्रावलीयों पर चर्चा :–**

(अ) निर्माण/विकास शाखा :–

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पालिका आयुक्त द्वारा निर्माण शाखा के विविध नवीन पत्रावलीयां समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि कोविड–19 संकमण बचाव व पालिका क्षैत्र में विविध कार्यो हेतू आमंत्रित पालिका निर्माण शाखो प्राप्त रिर्पोट अनसार अग्रानुसार है, जिनका विवरण अग्रानुसार हैं :–

क.स.	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कुल लागत (लाखो में)
1.	Construction catch drain & Rcc cover at 120 feet rad Krishna circle &	ललित कुमार खटिक	25.00 लाख

12/10/21

Scanned with CamScanner

	varioust places, Nathdwara (ARC)		
2.	Door to Door collection and O and M of MRF plant, Processing of MRF plan in municipal Board, Nathdwara	सृजन सेवा संस्थान, 01/106, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रतापगढ।	148.15 लाख

उक्त पत्रावलियों में नियमानुसार प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही कर दर अनुमोदन कर कार्यदेश जारी करने हेतु आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को समिति द्वारा अधिकृत किया गया जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) **<u>वित्तिय वर्ष 2020–21 व 2021–22 में स्वीकृत वित्तिय प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक व्यय की निविदाओं पर विचार :–</u>**

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पालिका आयुक्त द्वारा स्टोर शाखा के विविध अधिक व्यय पत्रावलीयां समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि कोविड–19 संक्रमण बचाव व पालिका क्षेत्र में विविध कार्यो हेतू आमंत्रित अग्रानुसार निविदाओं में पूर्व में स्वीकृत निविदा प्रशासनिक एंव वित्तिय सीमा से अधिक कार्य तथा सामग्री प्राप्त करना आवश्यक हाने से राजस्थान सरकार के वित विभाग से जारी अधिसूचना अनुसार पूर्व में जारी प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति को परिस्थितियों अनुसार परीक्षण उपरान्त संशोधित करते हुए आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को अधिकृत किया गया है, जिनका विवरण अग्रानुसार हैं :–

क.स.	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कुल लागत (लाखो में)	किया गया कार्य	अतिरिक्त कार्य
1.	पालिका को मास्क सप्लाई कार्य।	गोल्डन मोदि स्टील	2.00 लाख	269,350	69,350/–
2.	पालिका क्षैत्र में मेले, त्योहार, राजकीय पर्व पर टेन्ट, शामीयाना कार्य	महालक्ष्मी टेन्ट हाउस	9.50 लाख	13,63,142	4,13,142/–

उक्त पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि कोविड–19 सकमण, बचाव एवं कार्य आवष्यकता अनुसार नई निविदा नही होने से कार्य कराये गये जिसमें स्वीकृत वित्तिय प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक का व्यय हो गया, जिसका वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसुचना दिनांक 16.02.2018 के प्रावधानो अनुसार किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जानी है। बाद विचार सदस्यो द्वारा आर.टी.पी.पी. रूल के तहत् हुए अतिरिक्त कार्य की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>(स) स्टोर शाखा विविध नविन निविदाओं का अनुमोदन :–</u>

पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्व जारी निविदाओं के निरस्त होने एवं कार्य लागत पूर्ण हो जाने से पालिका द्वारा अग्रानुसार नविन निविदाए आमंत्रित की गई है :–

क.स.	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	निविदा लागत
1.	मेले, उत्सव, त्योहार, जन संवाद कार्यक्रम हेतू टेन्ट, शामियाना व्यवस्था।	महालक्ष्मी टेन्ट हाउस	25.00 लाख
2.	प्रशासन शहरो के संघ अभियान 2021 में टेन्ट, शामियाना व्यवस्था कार्य	महालक्ष्मी टेन्ट हाउस	9.50 लाख

12/10/21

Scanned with CamScanner

3.	शहरी रोशनी व्यवस्था, रख–रखाव कार्य	सद्गुरू ईलेक्ट्रिकल्स	6.50 लाख

सदस्यो द्वारा उक्त निविदाओं में प्राप्त पत्रावलीयों का अवलोकन किया बाद विचार निविदा प्रकिया पूर्ण कर प्रकरणो में नियमानुसार न्युनतम दर प्रस्तुतकर्ता संवेदक से कमी–पूर्ती पश्चात् निविदाओं मे कार्यादेश जारी किए जाने हेतू पालिका आयुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. **भवन निर्माण से संबंधित प्रकरण/खांचा भूमि प्रकरण निस्तारण :–**

(अ) पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यो को बताया गया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरिय निकायो में भवन निर्माण स्वीकृति प्रकरणो के निस्तारण हेतू मॉडल बाईलोज 2020 का मण्डल बैठक में अनुमोदन पश्चात् उक्त नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनो के निस्तारण हेतू निर्देश जारी किए गए थें साथ ही निदेशालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत् नगरिय निकायो में विविध सेवाओं के ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा निस्तारण किए जाने हेतू प्रद्वत निर्देशों के कम में पालिका द्वारा विभाग की विविध सेवाओं यथा निर्माण, नाम हस्तान्तरण, ट्रेड लाईसेन्स, कृषि भूमि नियमन, अग्निशमन एन. ओ.सी. संबधि कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर कोई नविन भवन निर्माण स्वीकृति से संबधित प्रकरण इस स्तर पर लम्बित नही है साथ ही आगामी बैठक में बहुमंजिला इमारतो से सम्बन्धित प्रस्ताव भी पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किय गये।

(ब) खांचा भूमि की 15 पत्रावलीयां निस्तारीत कि जानी थी, जिसमे कुछ पत्रावलीयां तेलियो का तालाब, हाउसिंह बोर्ड एवं सुखाडिया नगर की थी, जिसमें तेलियो का तालाब, हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसीत की गई है, तद्समय एवं वर्तमान समय में हाउसिंह बोर्ड द्वारा आंवटित भवन धारियों द्वारा अपने भवन का विक्रय कर अन्यत्र बस गए है, इस कारण आवंटित भूखण्ड धारी एंव वर्तमान के नामो तथा ब्लाको में दिशा तथा प्लॉटो में नाप परिवर्तन से खॉचा भूमि का आकलन वर्तमान में उपलब्ध ले आउट अनुसार किया जाना अस्पष्ट होने से तथा समस्त भूखण्डो के नाप तथा आकार में अन्तर एवं कही–कही कुछ लोगो द्वारा खाली स्थान पर अतिक्रमण भी कर लिया गया इस कारण उक्त कोलोनी का नवीन सर्वे वर्तमान मौका स्थिति अनुसार कराया जाकर अग्रीम कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया एवं सुखाडिया नगर जो की नगरपालिका द्वारा विकसीत की गई थी, जिसमें कोलोनी का विकास अलग–अलग बार अलग–अलग हिस्सो में किया गया जिससे प्लान अलग–अलग होने से भूखण्ड का मैच प्लान अनुसार नही होने के कारण स्थान निर्धारित नही होने से, उक्त में ड्रोन से सर्वे करा योजना का पूर्ण प्लान बनाकर अगली कार्यवाही अमल में लाने का निर्णय सर्वसम्मिति से लिया गया।

5. **पट्टो के पूनर्वेध/पालिका योजना 120 फीट पर व्यवसायिक भूखण्डो की निलामी के प्रकरण :–**पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा गणेश टेकरी 120 फीट रोड पर स्थित नगरपालिका की पूर्व में स्वीकृतव्यवसायिक योजना अुनसार ही बिना मौका स्थिति सीमांकन करवाये पालिका ने वर्ष 2019–20 मे व्यवसायिक दूकाने एवं भूखण्ड की निलामी की गई थी, पालिका द्वारा जरिये निलामी जिसमें 04 दुकाने विकितकी गई, पूर्व में उक्त विकित 04 दुकानों में से एक प्रकरण में पालिका द्वारा लीज डीड जारी की जा चुकी है तथा शेष 03 प्रकरणो में समयअवधि पश्चात् राशि जमा होने तथा मौके पर सीमांकन उपलब्ध भूमि एंव सुविधा क्षेत्र अनुसार मिलान अभाव हाने से उक्त प्रकरणो के निस्तारण हेतू सक्षम स्वीकृति तथा निर्धारित राशि जमा कराई जानी शेष थी, के कारण प्रकरणो में पालिका द्वारा लिज डीड जारी नही की जा सकी, उक्त बाबत् पूर्व में मण्डल बैठक 10.07.2021 के निर्णयानुसार उक्त योजना मे भूखण्डो के सिमांकन एवं निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर प्रकरणो के निस्तारण हेतू निर्णय लिया गया था, राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरो के संघ अभियान 2021 में जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार उक्त प्रकार के प्रकरणो में

18/10/21

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान करने हेतू ब्याज व शास्ती में छुट देते हुए प्रकरणो के निस्तारण हेतू निकायो को शक्तिया प्रदान की गई है। बाद विचार सदस्यो द्वारा निर्धारित निलामी तथा छोडी गयी बोली मूल भूखण्ड राशि जमा होने की पुष्टि लेखा शाखा से सत्यापन होने पर प्रकराणो का राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहायक अभियंता एंव कनिष्ठ अभियंता से सीमाकन करवा कर जारी होने वाली लीज डीड में उक्तानुसार स्पष्ट वर्णित कर ही निस्तारण किया जाकर लिज डिड जारी किए जाने के साथ ही उक्त योजना में शेष बचे भूखण्डो को भी प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानो अनुसार अतिशीघ्र सार्वजनिक निलामी से करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर प्रकिया आरम्भ करने का निर्णय सर्वसम्मिति से लिया गया ।

6. **प्रशासन शहरो के संघ अभियान 2021 की प्रगति कार्यकम एवं समीक्षा :– अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान में जारी माननीय उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के स्थगन आदेश से अप्रमवित कार्यो के परीक्षण कर उनके निस्तारण हेतु कार्यवाही करने को निर्देशित किया जाने की चर्चा कर आगामी बैठक में उक्तानुसार कार्यवाही की रिर्पोट हेतु भूमि शाखा प्रभारी को आदेशित किया गया।**

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई।

सहायक अभियन्ता एंव कनिष्ठ अभियन्ता सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति नगरपालिका नाथद्वारा	सहायक नगर नियोजक एंव सदस्य ले आउट प्लान अनु.समिति नगरपालिका नाथद्वारा	सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनु. एंव आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा	अध्यक्ष नगरपालिका एंव अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति, नगरपालिका नाथद्वारा

(1)

कमांक/न.पा.ना/2021/6294-97 दिनांक :– 12-10-2021

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् अध्यक्ष नगरपालिका एंव अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति, नगरपालिका नाथद्वारा
2. सहायक नगर नियोजक एंव सदस्य ले आउट प्लान अनु.समिति नगरपालिका नाथद्वारा।
3. सहायक अभियन्ता एंव कनिष्ठ अभियन्ता, सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति नगरपालिका नाथद्वारा।
4. सुरक्षित पत्रावली।

12/10/2021

सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनु. एंव
आयुक्त,
नगरपालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner